न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– महीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :–12 / 2021 धारा [illegible]

1– [illegible] प्रार्थी।

बनाम

1– [illegible] विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–120 रा०भू०रा०अधि० 1956

दिनांकः 6/4/21

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–120 रा० भू० राज० अधि01956 के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] भू०अ०नि० क्षेत्र [illegible] उनके खाता संख्या [illegible] की आ०नं० 212/327 [illegible] 1.0745

....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/1/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–120 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] भू०अ०नि० क्षेत्र [illegible] उनके खाता संख्या 188 की आराजी नम्बर 212/327 [illegible] 1.0745

....भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू. अ०नि० [illegible] को 600/-रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये सुसंगत बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थर खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नही की जावे।

संलग्न :– प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को बेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नि[illegible] पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में [illegible] करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा